राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550 (O);

पत्रांक : F7(4)Misc./Acd/CCE/2021/02; दिनांक : 27 April 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय : **राजकीय महाविद्यालयों में** सत्र 2020–21 में **ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) के संबंध में।**

लेख है कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में विगत सामान्य अकादमिक सत्रों में माह मई–जून में होने वाला ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) इस सत्र में भी दिनांक 01 मई से 30 जून 2021 तक रहेगा। इस संबंध में ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. कोरोना से उत्पन्न विकट परिस्थितियों के कारण सभी प्राचार्य, शिक्षकगण एवं कार्मिक इस ग्रीष्मावकाश अवधि में अपना मुख्यालय नहीं छोडेंगे। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिये आपकी सेवाएं वांछित होने पर आपको निर्देशित किया जा सकता है। किसी विषम परिस्थिति में मुख्यालय छोडना आवश्यक होने की दशा में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करके ही मुख्यालय छोडें एवं मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे।

2. समस्त कार्मिक (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) यह सुनिश्चित करें कि जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा इस महामारी से निपटने हेतु यदि किसी कार्मिक की सेवाओं की आवयश्यकता हेतु आदेश दिया जावे तो, तदनुरुप उपस्थिति कार्मिकों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

3. समस्त कार्मिक (प्राचार्य, शिक्षणगण एवं स्टाफ के अन्य सदस्य) यह सुनिश्चित करें कि इस ग्रीष्मावकाश अवधि में यदि विश्वविद्यालयी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो निर्देशानुसार कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) को अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा।

4. **इस ग्रीष्मावकाश अवधि में सरकार से कार्यालय खोलने हेतु अनुमत होने पर** निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयी कार्यालय खुलेंगे। इस अवधि में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, स्टोर आदि के भौतिक सत्यापन के नाम पर संकाय सदस्यों/शैक्षणिक स्टाफ को महाविद्यालय में नहीं बुलाया जावे। प्राचार्य के अतिरिक्त केवल आहरण एवं विरतण अधिकारी को यथा आवश्यकता महाविद्यालय में आने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक की सेवाओं की आवश्यकता हो तो राजहित में उनसे यथा संभव उनके घर से ही सहायता के लिये निर्देशित किया जावे। अन्य कार्यालयी कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरुप महाविद्यालयों में बुलाया जावे।

5. **प्रवेश प्रकिया में विलम्ब होने से इस सत्र में कुछ कक्षाएं देरी से प्रारम्भ हुई थीं, अतः संभव है कि महाविद्यालयों में कुछ कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा नही हुआ हो। अतः विद्यार्थी हित में सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि स्व–आकलन करके यथा संभव माध्यम अपनाते हुए विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा करवाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करें।**

6. इस ग्रीष्मावकाश अवधि में महाविद्यालयों की मार्गदर्शन संबंधी समस्याओं के समाधान/सहायता हेतु आयुक्तालय जयपुर में केवल ग्रीष्मावकाश अवधि के लिये **संभागवार एक विशिष्ट सहायता प्रकोष्ठ** सथापित किया जा रहा है। यह **संभागवार एक विशिष्ट सहायता प्रकोष्ठ** केवल प्राचार्यों की सुविधा के लिये प्रातः 10.30 बजे से आपरान्ह 2.00 बजे तक राज्य सरकार के निर्देशानुसार घर/कार्यालय से आपकी सहायता/मार्गदर्शन के लिये सेवारत रहेगा।

1.	**अजमेर संभाग**	**डा. अल्पना व्यास**	**94142 43508**
2.	**भरतपुर**	**डा. आर. सी. मीना**	**94143 44597**
3.	**बीकानेर**	**डा. बी. एल. शर्मा**	**94149 68681**
4.	**जयपुर**	**डा. सौमित्र नाथ झा**	**99285 20501**
5.	**जोधपुर**	**डा. दीपाली भार्गव**	**94140 42058**
6.	**कोटा**	**डा. पद्मश्री पटनायक**	**94141 82061**
7.	**उदयपुर**	**डा. के. एल सराधना**	**94147 84154**

संदेश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांकः F7(4)Misc./Acd/CCE/2021/03_04;   दिनांक : 27 April 2021
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. उपविधि परामर्शी, आकाशि, जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

डा. सौमित्र नाथ झा
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)